

**न्यायालय—श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—62 / 2009  
 संस्थित दिनांक—07.02.2009  
 फाईलिंग क.234503000262009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी मछुरदा, आरक्षी केन्द्र—बिरसा,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

निलेश पिता बनवारी प्रसाद शर्मा, उम्र—32 वर्ष,  
 निवासी—वार्ड नंबर—3 लांजी, खरगाले मोहल्ला लांजी,  
 थाना लांजी, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—03 / 05 / 2016 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—04.01.2009 को रात्रि करीब 12:00 बजे, पुलिस चौकी मछुरदा आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम धामनगांव में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.एच.—35/के—931 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत पंचराम को ठोस मारकर उसके बाएं पैर में साधारण उपहति कारित की तथा आहत बैसाखू को ठोस मारकर उसके दाहिने हाथ की अंगुलियों में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी बैसाखू ने दिनांक—05.01.2009 को पुलिस चौकी मछुरदा अंतर्गत थाना बिरसा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक—04.01.09 को वह अपने भतीजे पंचराम के साथ मोटरसाईकिल से बैहर जा रहा था। वापसी में रात्रि लगभग 12 बजे धामनगांव के आगे एक मेटाडोर के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में उसके दाहिने हाथ के पंजे में और उंगली में चोट लगी थी। उसके भतीजे पंचराम के बाएं पैर के घुटने में चोट आई थी। उसने मोटरसाईकिल

की हेड लाईट से वाहन का नंबर देखा था, जो एम.एच-35/के-931 था। रात्रि होने से उसने दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक-05.01.2009 को दर्ज कराई थी। उपरोक्त सूचना के आधार पर असल कायमी थाना बिरसा में अपराध क्रमांक-1/9, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा आहत बैसाखू की चिकित्सीय रिपोर्ट में अस्थि भंग होना पाया जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.01.2009 को रात्रि करीब 12:00 बजे, पुलिस चौकी मछुरदा आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम धामनगांव में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.एच.-35/के-931 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत पंचराम को ठोस मारकर उसके बाएं पैर में साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत बैसाखू को ठोस मारकर उसके दाहिने हाथ की अंगुलियों में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-**

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी बैसाखू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके बयान देने के दो वर्ष पूर्व रात्रि 9:30 बजे की है। वह बैहर से मछुरदा मोटरसाईकिल से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे पिकअप वाहन से उसका वाहन टकरा गया। रात्रि होने के कारण वह पिकअप वाहन का नंबर नहीं देख पाया। उसने घटना की रिपोर्ट चौकी मछुरदा, थाना बिरसा में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। पुलिस ने घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा था। उसने यह भी कहा है कि वाहन चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक नहीं चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि अंधेरा होने के कारण दुर्घटना हो गई।

6— पंचराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके बयान देने के तीन वर्ष पूर्व ग्राम मछुरदा की है। घटना दिनांक को 7 बजे वह मोटरसाईकिल से बैहर से वापस घर जा रहा था, तभी एक सफेद रंग के पिकअप वाहन ने उसके वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे घुटने पर तथा बैसाखू को हाथ के पंजे में चोट आई थी। दुर्घटना में उसके वाहन मोटरसाईकिल का ब्रेक टूट गया था और मोटरसाईकिल में लगभग 2,000/-रुपये का नुकसान हुआ था। उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पिकअप वाहन कौन चला रहा था, यह उसने नहीं देखा। साक्षी ने यह भी कहा है कि दुर्घटना के समय वह मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि किसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई थी।

7— अभियोजन साक्षी रामदास (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई और न ही उसने प्रदर्श पी-3 का कथन पुलिस को लेख कराया था।

8— अभियोजन साक्षी भुवनसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि दुर्घटना की उसे जानकारी नहीं है। उसे जानकारी हुई थी कि उसके पुत्र बैसाखू के साथ दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षी जावेद (अ.सा.7) ने कहा है कि उसे दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-एम.एच-55/के-931 के चालक ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की।

9— मुकेश (अ.सा.8) ने अपने कथन में कहा है कि उसे वाहन चलाने का 15 वर्ष का अनुभव है। दिनांक-12.01.09 को उसने जप्त वाहन का परीक्षण किया था और वाहन के स्टेयरिंग, ब्रेक, कल्व इत्यादि ठीक अवस्था में पाए थे। उसने वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 तैयार की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पुलिसवालों के कहने पर वाहन का परीक्षण करता है। उल्लेखनीय है कि साक्षी ने अपने परीक्षण में यह प्रकट नहीं किया है कि उसने किस वाहन क्रमांक का मैकेनिकल परीक्षण किया था।

10— दुलीचंद मेश्राम (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-05.01.2009 को पुलिस चौकी मछुरदा, थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-1/09, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मो.व्ही.एक्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी बैसाखू की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत बैसाखू एवं पंचराम का मुलाहिजा फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा भिजवाया था, जो प्रदर्श पी-5 एवं 6 हैं, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-11.01.2009 को बैसाखू की मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार कर प्रदर्श पी-8 का नुकसानी पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

दिनांक-12.01.2009 को आरोपी निलेश कुमार शर्मा से एक सफेद रंग का बुलेरो पिकअप वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 मय दस्तावेजों के गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11- दिनांक-05.01.2009 को प्रार्थी बैसाखू आहत पंचराम एवं दिनांक-06.01.2009 को रामदास तथा दिनांक-11.01.2009 को जौनसिंह, जावेद हुसैन व दिनांक-12.01.2009 को वाहन स्वामी आदिल अंसारी का कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। दिनांक-12.01.2009 को आरोपी निलेश शर्मा को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 बैसाखू की मौखिक रिपोर्ट पर सहायक उपनिरीक्षक जी.डी. बेलवंशी के द्वारा वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 के चालक के विरुद्ध लेख की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर सहायक उपनिरीक्षक जी.डी. बेलवंशी हस्ताक्षर हैं, उसने श्री बेलवंशी के साथ कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को असल नंबरी हेतु थाना बिरसा भेजा था, जिसकी असल प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-1/09 पर कायम किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही थाने में बैठकर अपने मन से की थी तथा दुर्घटना नहीं हुई थी।

12- प्रकरण में अभियोजन साक्षी बैसाखू (अ.सा.1) तथा पंचराम (अ.सा.2) आहत एवं फरियादी हैं। साक्षी बैसाखू ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर स्वयं यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला पिकअप वाहन तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक नहीं चलाया जा रहा था। साक्षी पंचराम (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। प्रकरण में किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी की पहचान को लेकर कथन नहीं किया है कि आरोपी ही दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चला रहा था। अभियोजन साक्षी रामदास (अ.सा.3), जौनसिंह (अ.सा.4), जावेद (अ.सा.7), मुकेश (अ.सा. 8) के कथनों से अभियोजन कहानी को कोई लाभ नहीं है। अभियोजन साक्षी दुलीचंद



मेश्राम (अ.सा.9) ने स्वयं द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है, परन्तु वह मौके पर उपस्थित नहीं था, इसलिए दुर्घटना किस प्रकार से हुई थी। इस विषय पर उसका साक्ष्य सहायक नहीं हो सकता। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित करना एवं मानव जीवन संकटापन्न किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 एवं 3 का निष्कर्ष

13- डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-05.01.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक गुलचंद डोहरे क्रमांक-630 द्वारा आहत बैसाखू पिता जोनसिंह, जाति बैगा, उम्र-26 वर्ष, साकिन मछुरदा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट को उसके समक्ष लाए जाने पर परीक्षण के दौरान उसने आहत के शरीर में निम्न चोटें पाई थी। चोट क्रमांक-1-दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में एक कटी-फटी चोट थी, चोट क्रमांक-2-दाहिने हाथ की मीडिल फिंगर में एक कटी-फटी चोट थी, चोट क्रमांक-3-दाहिने रिंग फिंगर पर एक कटी-फटी चोट थी, चोट क्रमांक-4-दाहिने हथेली पर सूजन थी, चोट क्रमांक-5-बाएं टखने पर एक कटी-फटी चोट थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि आहत के दाहिने पंजे की मेटाकारपल बोन में फ्रैक्चर की संभावना थी। चोट क्रमांक-1 से 4 को एक्सरे हेतु अर्थोपेडिक के अभिमत हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। चोट क्रमांक-5 साधारण प्रकृति की थी, जिसे ठीक होने में 5 से 7 दिन का समय लग सकता था। उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो परीक्षण के 12 घंटे से ज्यादा किन्तु 24 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14- उक्त दिनांक को ही थाना बिरसा के आरक्षक द्वार आहत पंचराम पिता रामदास, उम्र-12 वर्ष, साकिन मछुरदा थाना बिरसा जिला बालाघाट को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के शरीर पर निम्न चोटें पाई थी। एक एब्रेजन जिस पर काला खून जमा था, जिसका आकार डेढ़ गुणा आधा इंच था। उक्त चोट किसी कठोर

वस्तु से आना प्रतीत होती थी। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण से 12 घंटे से ज्यादा परंतु 24 घंटे के भीतर की थी, जिसे ठीक होने में 5-7 दिन का समय लग सकता था। यदि कोई विषम परिस्थिति न हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आहत बैसाखू को चोट क्रमांक-1 लगायत 4 कडे एवं खुरदुरे स्थान पर गिरने से आ सकती थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत बैसाखू को चोट क्रमांक-5 तथा आहत पंचराम को आई चोटें कडे एवं खुरदुरे स्थान पर गिरने से आ सकती है।

15- डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-10.01.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। दिनांक-07.01.2009 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत बैसाखू पिता जनसिंह, उम्र-26 वर्ष, निवासी-ग्राम मछुरदा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट के दाहिने हथेली का एक्सरे किया था, जिसकी एक्सरे प्लेट क्रमांक-78 था, जो आर्टिकल ए-1 है, उसे डॉ. मेश्राम ने रिफर किया था। आहत का एक्सरे करने पर उसकी दाहिने हथेली की तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16- प्रकरण में अभियोजन साक्षी डॉ. मेश्राम (अ.सा.6) ने दिनांक-05.01.2009 को आहत बैसाखू तथा आहत पंचराम का चिकित्सीय परीक्षण किया था और उन्हें दुर्घटना में संभावित चोटें आना पाई थी। चिकित्सक डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.5) ने भी आहत बैसाखू की हथेली पर अस्थिभंग होना अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट में पाया था। उपरोक्त साक्षियों ने प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-6 की चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। इस प्रकार दुर्घटना में आहतगण को चोटें आना प्रमाणित हो रहा है, परंतु देखना यह है कि क्या यह चोटें आहतगण को आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक किये गए कृत्य से कारित हुई थी। विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के निष्कर्ष में न्यायालय ने यह प्रमाणित नहीं पाया है कि आरोपी दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चला रहा था। अभिलेख से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 के द्वारा दुर्घटना होने से आहतगण को चोटें आई थी, इसलिए आरोपी के विरुद्ध भारतीय

दण्ड संहिता कि धारा-337, 338 का अपराध किये जाने के तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते।

17— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में वाहन क्रमांक-एम.एच-35/के-931 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी निलेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

19— प्रकरण में आरोपी दिनांक-17.01.2016 से दिनांक-20.01.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.एच-35/के.931 को सुपुर्ददार मोहम्मद आदिल पिता नूरमोहम्मद, साकिन लांजी, थाना लांजी, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर,  
दिनांक-03.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट